भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4200

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं का संवर्धन

4200. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री आलोक शर्मा:
श्री मनोज तिवारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के संवर्धन के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में उनकी पहुंच और समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार आगामी वर्षों में देश में नए आयुष संस्थान खोलने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जलगांव जिले और दिल्ली के उत्तर पूर्व दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, जिलावार और बजटवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जलगांव जिले जैसे क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र में नए आयुष संस्थानों की स्थापना से स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विकास और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अन्य नए अवसरों में किस प्रकार योगदान मिला है;

(ङ) आगामी वर्षों में इन नए आयुष संस्थानों की स्थापना के महत्व का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में नागरिकों के लिए, विशेषकर वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच और लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) सरकार देश की जनता, विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के शहरी क्षेत्रों और स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विकल्पों को बढ़ाने, पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में इन संस्थानों की भूमिका की किस प्रकार परिकल्पना कर रही है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय देश भर में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा सहित आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन

(एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें दिल्ली का शहरी क्षेत्र भी शामिल है। एनएएम के तहत, मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के अनुरूप एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन करता है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है: -

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन, जिसका नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
v. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना, जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के तहत एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 4534.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। एनएएम योजना के कार्यान्वयन के बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उपलब्धि के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तदनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एनएएम योजना की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एनएएम का बजट आवंटन क्रमश: 75.28 करोड़ रुपये (वर्ष 2014-15 में) से बढ़ाकर 1200.00 करोड़ रुपये (वर्ष 2024-25 में) कर दिया गया है। एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक 167 एकीकृत आयुष अस्पतालों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों में से, 46 अस्पताल कार्यशील हैं और बड़े पैमाने पर जनता को उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके कार्यशील किए जाने हेतु 12500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) को भी मंजूरी दी है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के नाम से जाना जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12250 एएचडब्ल्यूसी कार्यशील हैं और समुदाय को जमीनी स्तर पर समग्र आयुष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) से (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जलगाँव जिले और दिल्ली के उत्तर-पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में नए आयुष संस्थानों की स्थापना का कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, एनएएम के तहत, देश में 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में एकीकृत आयुष अस्पतालों की 167 इकाइयों को मंजूरी दी गई

है। स्वीकृत एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और बजट-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), भूमि स्वामित्व अधिकार और प्रस्तावित अस्पताल के लिए चिन्हित पदों के लिए नियमित पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्र सरकार से योजनाबद्ध सहायता के अलावा अस्पताल के दीर्घकालिक संचालन में सुविधा होगी। इसके अलावा जिले में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल ऐसे स्थान पर स्थित होने चाहिए जहां पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध हो और वे आयुष औषधालयों, एएचडब्ल्यूसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि के लिए रेफरल अस्पतालों के रूप में कार्य करेंगे। आगे के निदान और पंचकर्म/मर्म/इलाज बिल-तदबीर जैसा हिजामा बिल शर्त (स्केरिफिकेशन के साथ कपिंग), फसद (वेनेसेक्शन), तालिक (लीचिंग)/फिजियोथेरेपी अथवा सर्जरी के तहत विशेष प्रक्रियाओं जैसे विशेष उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को इन आयुष अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।

*****

संलग्नक

स्वीकृत एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और बजट-वार स्थिति का ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थान (जिला)**	**बिस्तरों की संख्या**	**स्वीकृत/आबंटित धनराशि (लाख रुपए में)**	**राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उपयोग की गई धनराशि (लाख रुपए में)**
1	अंदमान एवं निकोबार द्वीप	पोर्ट ब्लेयर (दक्षिण अंदमान)	50	124.95	107.40
2	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	50	814.25	491.18
		विशाखापत्तनम	50	309.43	120.00
3	**अरुणाचल प्रदेश**	**यिंगकिओंग (अपर सियांग)**	**10**	**80.00**	**27.00**
		सेप्पा (पूर्वी कामेंग)	**10**	**80.00**	**0.00**
		जीरो (लोअर सुबनसिरी)	**10**	**80.00**	**0.00**
		भालुकपोंग (पश्चिमी कामेंग)	**50**	**275.00**	**247.50**
		लिकाबाली (लोअर सियांग)	**50**	**175.00**	**157.50**
4	**असम**	**गोलपाड़ा**	**50**	**959.89**	**794.60**
		माजुली	**50**	**1189.72**	**823.61**
		कोकराझार	**50**	**1.00**	**0.00**
		बक्सा	**50**	**1.00**	**0.00**
		मोरीगांव	**50**	**1.00**	**0.00**
		कलियाबोर (नगांव)	**50**	**1.00**	**0.00**
		दिफू (कार्बिआंगलोंग)	**30**	**1.00**	**0.00**
		बाजाली	**10**	**1.00**	**0.00**
5	बिहार	पटना	50	902.70	137.27
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़	50	783.12	511.77
7	छत्तीसगढ	जांजगीर-चंपा	10	255.50	31.11
		महासमुंद	10	255.50	102.45
		कोरिया	10	255.50	42.56
		कोरबा	10	255.50	65.42
		कांकेर (उत्तर बस्तर कांकेर)	10	255.50	123.45
		नारायणपुर	10	255.50	21.25
		बीजापुर	10	255.50	0.00
		दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा)	10	255.50	20.84
		दल्ली राजहरा (बालोद)	30	25.50	29.75
8	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	सिलवासा (दादरा और नगर हवेली)	50	167.45	0.00
9	गोवा	मडगांव (दक्षिण गोवा)	50	912.77	366.96

		वेलगुएम (उत्तर गोवा)	50	125.00	0.00
10	गुजरात	सूरत	50	950.00	380.00
11	हरियाणा	हिसार	50	675.34	405.01
12	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	50	1409.62	1268.72
		मंडी	50	25.00	22.50
13	जम्मू - कश्मीर	किश्तवाड़	50	500.00	360.00
		कुपवाड़ा	50	737.17	644.62
		बिलावर	50	711.37	633.25
		कुलगाम	50	725.96	464.62
		सांबा	50	253.65	240.35
		गडीगढ़ (जम्मू)	10	75.00	0.00
		बांदीपायीं (बारामूला)	10	75.00	45.62
14	झारखंड	रांची	50	1500.00	414.51
		गुमला	10	750.00	0.00
		बोकारो	10	750.00	31.55
		देवघर	10	750.00	49.73
		पलामू	10	750.00	32.46
		दुमका	10	750.00	91.97
		जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)	50	1500.00	130.91
15	कर्नाटक	गदग	50	900.00	420.00
		मैंगलोर (दक्षिण कन्नड़)	50	900.00	564.60
		तीर्थहल्ली (शिवमोगा)	10	35.03	0.00
16	केरल	चालाकुडी (त्रिशूर)	50	900.00	342.38
		मट्टनूर (कन्नूर)	50	900.00	332.00
		अडूर (पथनमथिट्टा)	10	60.00	6.00
		अट्टापडी (पलक्कड़)	50	10.00	6.00
		कोट्टाराकारा (कोल्लम)	30	100.00	12.00
		वायनाड	30	25.00	0.00
		इडुक्की	30	25.00	0.00
		अरनमुला (पथनमथिट्टा)	30	25.00	0.00
		वर्कला (तिरुवनंतपुरम)	30	25.00	0.00
		कप्पुकड़ (तिरुवनंतपुरम)	50	25.00	0.00
17	लक्षद्वीप	कवारत्ती (लक्षद्वीप)	30	221.80	219.05
18	**महाराष्ट्र**	**नंदुरबार**	**30**	**633.79**	**304.04**
		सिंधुदुर्ग	**30**	**821.92**	**268.88**
		पुणे	**30**	**696.28**	**373.57**
		अहमदनगर	**30**	**644.43**	**338.22**
		धाराशिव (उस्मानाबाद)	**50**	**100.00**	**4.51**
		जलगांव	**30**	**300.00**	**0.00**
		जालना	**50**	**300.00**	**0.00**
		थाणे	**50**	**300.00**	**5.98**
		नागपुर	**50**	**100.00**	**0.00**
19	**मणिपुर**	**मोरेह (तेंगनौपाल)**	**50**	**654.50**	**586.93**
		चुड़ाचांदपुर	**50**	**650.00**	**585.00**
		क्वाकीथेल कोंजेंगलेइकाई (इम्फाल	**50**	**393.59**	**337.37**

		पश्चिम)			
		केइराओ एसी (इम्फाल पूर्व)	**50**	**667.30**	**600.57**
		चांदेल	**10**	**187.50**	**127.97**
		जिरीबाम	**10**	**187.50**	**127.97**
		कांगपोकपी	**10**	**187.50**	**127.97**
		बिष्णुपुर	**10**	**187.50**	**127.97**
		नोनी	**10**	**187.50**	**127.97**
		थौबल	**10**	**187.50**	**127.97**
		सेनापति	**10**	**187.50**	**127.97**
20	**मध्य प्रदेश**	**भोपाल**	**50**	**750.00**	**450.00**
		इंदौर	**50**	**550.00**	**330.00**
		नरसिंहपुर	**50**	**776.92**	**344.63**
		अमरकंटक (अनूपपुर)	**50**	**500.00**	**300.00**
		मंडलेश्वर (खरगोन)	**50**	**324.75**	**194.85**
		बालाघाट	**50**	**250.00**	**150.00**
		सीहोर	**50**	**425.00**	**255.00**
		गुना	**50**	**100.00**	**15.00**
		पन्ना	**50**	**100.00**	**60.00**
		भिंड	**50**	**100.00**	**60.00**
		बड़वानी	**30**	**25.00**	**0.00**
21	**मेघालय**	**सोहरा (चेरापूंजी) (पूर्वी खासी हिल्स)**	**50**	**1011.04**	**877.31**
		उमट्रे (रिभोई)	**50**	**733.91**	**575.30**
		जोवाई (पश्चिम जयंतिया हिल्स)	**30**	**150.00**	**101.25**
22	**मिजोरम**	**आइज़ोल**	**50**	**80.72**	**72.65**
		सैतुअल	**10**	**150.00**	**135.00**
23	**नगालैंड**	**नोक्लाक, तुएनसांग (नोक्लाक)**	**30**	**896.04**	**806.44**
		रज़ा, चेडेमा (कोहिमा)	**50**	**900.00**	**810.00**
		सपंग्या (चुंगटिया) (मोकोकचुंग)	**50**	**276.68**	**249.01**
		याचेम(लोंगलेंग)	**30**	**175.00**	**157.50**
		किफायर (किफायर)	**30**	**37.50**	**27.67**
		तिजित (मोन)	**30**	**15.00**	**11.00**
		अकुहाईतो (ज़ुन्हेबोटो)	**30**	**15.00**	**11.33**
24	ओडिशा	ढेंकनाल	50	800.00	480.00
		बहरामपुर (गंजम)	50	300.00	105.60
		बालासोर	50	100.00	0.00
25	पुदुचेरी	विलियानूर (पुडुचेरी)	50	954.06	776.27
		यानाम	50	848.42	626.32
26	पंजाब	दुन्नेके (मोगा)	50	650.00	390.00
		दयालपुर सोधियां जीरकपुर (एसएएस नगा (पुराना नाम मोहाली))	50	650.00	390.00
27	राजस्थान	भीलवाड़ा	50	450.00	270.00
		अजमेर	50	450.00	270.00
		चुरू	50	450.00	270.00
		बीकानेर	50	450.00	270.00
		जयपुर	50	436.00	247.66

		सीकर	50	450.00	266.95
		सवाईमाधोपुर	50	500.00	0.00
		भरतपुर	50	500.00	0.00
28	**सिक्किम**	**क्योंगसा, पश्चिम सिक्किम (ग्यालशिंग)**	**50**	**959.46**	**863.52**
		एनआईटी, देवराली (गंगटोक)	**30**	**260.49**	**218.09**
29	तमिलनाडु	थेनी	50	733.33	440.00
		तिरुवन्नमलाई	50	733.33	440.00
		पुदुक्कोट्टई	50	400.00	240.00
		नमक्कल	50	100.00	60.00
		चेन्नई	50	500.00	300.00
30	तेलंगाना	सिद्दीपेट	50	167.91	100.74
		विकाराबाद	50	167.91	100.74
		जयशंकर भूपालपल्ली	50	167.91	100.74
31	**त्रिपुरा**	**पैराडाइज़ चौमुहानी, अगरतला (पश्चिम त्रिपुरा)**	**50**	**550.00**	**495.00**
		दक्षिण सबरूम (दक्षिण त्रिपुरा)	**50**	**622.26**	**560.03**
32	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	30	525.00	315.00
		बुलंदशहर	50	900.00	539.99
		बिल्हौर (कानपुर नगर)	50	900.00	539.99
		पश्चिम कल्ली (लखनऊ)	50	900.00	539.99
		बदरासी (वाराणसी)	50	900.00	539.99
		नवाबगंज (बरेली)	50	900.00	539.99
		बस्ती	50	900.00	540.00
		सिराथू कौशाम्बी	50	900.00	540.00
		सोनभद्र	50	900.00	540.00
		उरई (जालौन)	50	900.00	540.00
		संतकबीर नगर	50	900.00	540.00
		सहारनपुर	50	900.00	540.00
		देवरिया	50	900.00	540.00
		ललितपुर	50	900.00	540.00
		अमेठी	50	900.00	540.00
		कानपुर देहात	50	900.00	540.00
		फिरोजपुर (बलिया)	50	900.00	540.00
		रायबरेली	50	900.00	435.98
		बागपत	50	900.00	436.41
		फतेहपुर	50	900.00	465.21
		श्रावस्ती	50	899.99	559.51
		उन्नाव	50	899.99	559.51
		हरदोई	50	1165.00	590.75
		गोरखपुर	50	1165.00	498.37
		संभल	50	1165.00	590.75
		मिर्जापुर	50	900.00	431.75
33	उत्तराखंड	हल्द्वानी (नैनीताल)	50	556.61	500.95
		जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)	50	1177.408	1059.66

		टनकपुर (चम्पावत)	50	200.00	180.00
		पथरी (हरिद्वार)	10	392.50	90.00
		कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	50	100.00	90.00
		भीमताल (नैनीताल)	10	207.50	0.00
		पिरान कलियर (हरिद्वार)	50	200.00	0.00
34	पश्चिमी बंगाल	तपसीखाता (अलीपुरद्वार)	50	900.00	630.00
		अबास खास जंगल (पश्चिम मेदिनीपुर)	50	900.00	515.96
		कुल = 167 इकाइयाँ		**83816.63**	**46505.71**